

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 16-5-2019

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक बजट 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आर्डाई0सी0टी0ई0 नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा माहान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संभावित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आन्तर पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम     | ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|----------|---------------|---|----------------------|--|--|
| 1        | 1156          | डिप्लोमा कॉलेज फॉर फार्मेसी इन लखनऊ, दिल्ली कृषि विभाग, आर्य समाज, आर्य समाज, लखनऊ। | डिप्लोमा इन फार्मेसी | २०   | २०   |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एनए 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमव्याली 1982 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निदेशक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीस वर्षीय इन्जी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० ३०,१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,३००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक साल/सत्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के प्रतिरिक्त धन/सहायता से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संझ पर शालन द्वारा निर्धारित किया जाने वाले शाननादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार नामावली निम्नो ज्ञान आवश्यक होगा। पी०सी० निदेशक

समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु कोष का पुनर्विचार किया जात है तो कीस की नवीनताम एवं सत्र होगी।

- ✓ संस्था को उद्योग प्रौद्योगिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को समस्त शिक्षा जमाने विभागाधीन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शायों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों को किल्ले का जाने की स्थिति में उम्मीद प्रवेश प्रमाण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्रवाई की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर विभिन्न शाखाओं के अनुसूचित विदेशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एफाइट/सीटीसी से असासी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था परत परत संसिद्ध द्वारा जारी गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सामन्तदशों/निर्देशों एवं विदेशों, प्राविशित शिक्षा जमाने, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उद्योग तथा प्राविशित शिक्षा परिषद उद्योग द्वारा जारी गये विचारों विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शर्तें बांधा होगी।
- ✓ विषयों का इन प्रवेशों पाठ्यक्रम की संरक्षण यदि पेशी/उच्च नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में संस्था उद्योगपरिषद संस्था का होगा और विदेशों एवं में किशोरी की कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविशित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविशित शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्राविशित शिक्षा विभाग उद्योग प्रवेश परीक्षा को कोई भी बाधक किया गया है तथा उद्योग एवं में संस्था में ही नवीनताम द्वारा निर्देश प्रसार की परिपूर्ति संस्था आदेश निर्देश किया गया है तो संस्था परिपूर्ति शर्तों का पालन करेगी।
- ✓ विषयों का इन प्रवेशों पाठ्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उद्योग प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व पीसी/सीटीसी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही की आवश्यकता है। संस्था परत प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से) असासी संस्था स्तर पर शीट प्रवेश) अनुमोदित गयी प्रदान की जायेगी।
- ✓ उद्योग प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु विभिन्न परीक्षाओं/समस्त/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं की बांधा की ऐतिहासिक पूर्ववर्ति, स्वयं, सामन्त-बांधा, उद्योगपरिषद द्वारा जारी गये गये, संयुक्त उद्योगपरिषद, शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उद्योगपरिषद या उद्योगपरिषद कराने की बांधा परिषद रोडमें ही संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित तो है कि संस्था में प्रत्येक/सामन्तित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निर्देशों बांधा की समस्त उद्योगपरिषद कराने गये अधिदेश, शर्तों-बांधा, शर्तों-बांधा, उद्योगपरिषद द्वारा जारी गये गये, संयुक्त उद्योगपरिषद, शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित तो है कि संस्था में प्रत्येक/सामन्तित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निर्देशों बांधा की समस्त उद्योगपरिषद कराने गये अधिदेश, शर्तों-बांधा, शर्तों-बांधा, उद्योगपरिषद द्वारा जारी गये गये, संयुक्त उद्योगपरिषद, शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित तो है कि संस्था में प्रत्येक/सामन्तित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निर्देशों बांधा की समस्त उद्योगपरिषद कराने गये अधिदेश, शर्तों-बांधा, शर्तों-बांधा, उद्योगपरिषद द्वारा जारी गये गये, संयुक्त उद्योगपरिषद, शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

फ़ॉर्म- प्राविश/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि - प्रधानाचार्य/निदेशक, गेजेटेड/नॉन गेजेटेड कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एन.एम.सी. दिल्ली रुडकी, बाईपास आटोमो. रोड।

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

**:-कार्यालय झाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सुद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकाशन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नक्त निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें स्यावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

| क्र० सं० | संस्था कोड | संस्था का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम    | पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|----------|------------|---|---------------------|--|--|
| 1        | 1188       | सेन्केंटरल कॉलेज ऑफ फार्मसी एन(एचए-58 दिल्ली कडकडी बाईपास, जटौली, मेरठ। | डिप्लोमा इन फार्मसी | 10   | 10   |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकाली 1992, सैमिस्टर विनियमकाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक छात्रा को वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसनदेशों जमादी तौरों, और वादनुसार कार्यवाही किया

*02*

जाता आवश्यक होगा। खीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम कर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (संसद प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमान्वली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्द्धकक्षा छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों जो रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ संस्था को वना-समय या निर्गत सालगादरा के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करनी होगा।
- ✓ संस्था को (एआईटीसीआई/पीसीआई) से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई चयन दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी लप से किसी भी कानूनी की लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दावा प्रस्तुत किया जाता है तथा दावा काट के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित जवाब को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संस्थानक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कारन्सिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कारन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आजाग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टाफ, वाज-सज्जा, सम्बन्ध प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ सैमिनार, वेबिन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ले ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु, निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कारगरे गये अनिलेख, गुण-पत्र, फर्माकर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त या प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनत्मक कार्यवाही की जाएगी।

(का. शा.के. सिंह)  
सचिव

पुसं- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, केन्द्रीय कॉलेज ऑफ फार्मसी, एन०एच०-58 दिल्ली रुड़की बाईपास, जटौली, मेरठ।

(का. शा.के. सिंह)  
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिक्षा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**: -कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्दा पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1156-VENKATESHWAR COLLEGE OF PHARMACY, N.H.- 58, DELHI ROORKEE BYPASS, JATAULI, MEERUT

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम    | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--|---|
| 1       | DIPLOMA IN PHARMACY | 60   | 60  |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार।

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये ब्याध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी०सी०आई० नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग/रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VENKATESHWAR COLLEGE OF PHARMACY, N.H.-58, DELHI ROORKEE  
BYPASS, JATAULI, MEERUT



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव